भाग तीन: खण्ड पांच

वन्य जीव (संरक्षण) नियम 1995

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा. नि. 348 (**अ**) **दिनांक** 7 **अप्रैल**, 1995 **भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग** 2 **खण्ड** 3 (i) **दिनांक** 18-4-95 **पृष्ठ** 1-2 **पर प्रकाशित।**

केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 **का** 53) **की धारा** 63 **की उपधारा** (1) **के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण), नियम**, 1995 **है।** (2) **ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।**

2. **इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:**

(**क**) **''अधिनियम'' से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **अभिप्रेत है।**

(**ख**) **''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।**

3. **धारा** 55 **के खण्ड (ग) के अधीन सूचना तामील करने की रीति:**

(1) **यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचना इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप ''क'' में दी जाएगी।**

(2) **केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देने वाला व्यक्ति निम्नलिखित सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा:**

(**क**) **निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।**

(**ख**) (1) **सचिव, सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, वन्य जीव भारसाधक/या**

(2) **मुख्य वन्य जीव संरक्षक, सम्बद्ध/संघ राज्य क्षेत्र; या**

(3) **राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकृत अधिकारी।**

प्रारूप ''क''

(नियम 3 **का उप-निवास (**1**) देखिए)**

(वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **की धारा** 55 **के अधीन सूचना)**

प्रेषक:

.....

सेवा में,

.....

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **के अधीन कोई अपराध किया गया है/किया जा रहा है और अपराध के संक्षिप्त तथ्य संलग्न हैं।**

(पूरा नाम और पूरा पता)..........**.....**

मैं/हम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **की धारा के अतिक्रमण के लिए .....न्यायालय में शिकायत फाइल करने के अपने आशय की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम** 1972 **की धारा** 55 **के अधीन** 60 **दिन की सूचना देता हूं/देते हैं।**

मैं/हम उक्त अधिनियम के अतिक्रमण के सबूत के साक्ष्य के रूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं। (दस्तावेजी साक्ष्य अभिकथिन अतिक्रमण/अपराध की जांच को समर्थ बनाने के लिए साक्षी के फोटो/रिपोर्ट/कथन सम्मिलित होंगे)।